



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL-263001 (UTTARAKHAND), INDIA

Office: 05942-236856 (Extn-328), Mobile CAO-Research: 9719919043, Fax: 05942-235213

Email: caoresearchku@gmail.com & sriccku@gmail.com, Website: www.kunainital.ac.in

Research Section

आज दिनांक 25-11-2020 को शोध सलाहकार समिति की बैठक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

- 1- प्रो० एन०के० जोशी, कुलपति - अध्यक्ष
- 2- श्री के०आर० भट्ट, कुलसचिव - सदस्य
- 3- श्री एल०आर० आर्या, वित्त अधिकारी
- 4- प्रो० एल०एम० जोशी, निदेशक, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल
- 5- श्री प्रकाश पाण्डे, सदस्य, कार्य परिषद, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 6- श्री कैलाश जोशी, सदस्य, कार्य परिषद, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 7- श्री अरविन्द पडियार, सदस्य, कार्य परिषद, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 8- प्रो० अतुल जोशी, वाणिज्य, संकायाध्यक्ष, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 9- प्रो० एस०सी० सती, संकायाध्यक्ष विज्ञान, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 10- प्रो० राजीव उपाध्याय, निदेशक आई०क्यू०ए०सी०, कु०वि०वि० नैनीताल।
- 11- प्रो० विजयारानी ढोडियाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा
- 12- प्रो० संजय पंत, निदेशक, डी०आई०सी०, कु०वि०वि० नैनीताल।
- 13- प्रो० आशीष तिवारी, संयुक्त निदेशक, एस०आर०आई०सी०सी० कु०वि०वि० नैनीताल।
- 14- प्रो० एम०एस० मावडी, संकायाध्यक्ष, चित्रकला, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।
- 15- डा० महेश चन्द्र आर्या, सहायक निदेशक, एस०आर०आई०सी०सी० कु०वि०वि० नैनीताल।
- 16- प्रो० आर०सी० जोशी, भूगोल विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल
- 17- प्रो० ललित तिवारी, निदेशक, एस०आर०आई०सी०सी०, कु०वि०वि० नैनीताल।
- 18- डा० युगल जोशी, सूचना वैज्ञानिक, कु०वि०वि० नैनीताल।

सभा के आरम्भ में कुलपति जी द्वारा संबोधन द्वारा किया गया। मा० कुलपति जी ने कुमाऊँ विश्वविद्यालय में आई०पी०आर० सैल नही होने पर चिंता व्यक्त की। कुलपति जी ने अपने संबोधन में कुमाऊँ विश्वविद्यालय में शोध का स्तर उपर उठाने के लिये तीन बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये।

- 1- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्राध्यापक (Faculty Members) द्वारा कम से कम एक शोध पत्र SCI/Scopus/Web of Science/UGC Care list में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
- 2- उच्च गुणवत्ता युक्त शोध हेतु शोध निर्देशकों द्वारा Patent हेतु आवेदन किया जाना चाहिये।
- 3- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्राध्यापक (Faculty Members) द्वारा कम से कम एक अनुदान एजेंसी को अनुदान हेतु Research Proposal जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रत्येक विभाग Consultancy हेतु प्रयास करें।

Plagiarism Page No. 1
4:

शोध सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25-11-2020 का कार्यवृत्त

1- विगत विश्वविद्यालय शोध सलाहकार समिति की बैठक दि० 28-11-2019 का अनुमोदन।

निर्णय : कुलपति जी द्वारा समिति का अनुमोदन किया गया, पिछली सलाहकार समिति के कार्यवृत्त का सभी समिति के सदस्यों को समिति की बैठक से पहले प्रेषित किये जाने के आदेश दिये गये है।

2- यू०जी०सी० एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार पी०-एचडी० प्रवेश हेतु 70 अंक लिखित तथा साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित है, इस संदर्भ में पूर्व की आर०ए०सी० में 70 लिखित / 30 साक्षात्कार रखा गया है। इसे 80 लिखित तथा 20 साक्षात्कार प्रस्तावित किये जा रहे हैं। तथा इसे वर्ष 2021-22 में लागू किया जायेगा। तथा नियमानुसार साक्षात्कार JRF NET/ इन्सपायर/ प्राध्यापक को भी देना होगा। केवल लिखित में पास होने पर ही मौखिकी परीक्षा में आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु गठित समिति में संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष (संयोजक), शोध निदेशक प्रतिनिधि तथा मा० कुलपति जी द्वारा नामित अंतर के विषय विशेषज्ञ होंगे तथा प्रत्येक सदस्य को एक हजार मानदेय दिया जायेगा।

निर्णय : संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष (संयोजक), शोध निदेशक प्रतिनिधि को मानदेय देय नहीं होगा। बाह्य विशेषज्ञ को रू० 2,000/- मानदेय एवं यात्रा भत्ता देय होगा, यदि विषय विशेषज्ञ आंतरिक होते हैं उन्हें कोई मानदेय नहीं देय होगा, साक्षात्कार 30 का तथा लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी, साक्षात्कार हेतु प्रस्तावित समिति अनुमोदित की जा सकेगी।

3- शोध में बेहतर कार्य करने वाले शोधार्थी सम्मानित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु जिन शोधार्थियों का एक वर्ष में कुल इम्पैक्ट फैक्टर 10 (दस) होगा उन्हें सम्मानित किया जायेगा, यह पुरस्कार केवल कुमाऊँ विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिये ही लागू होगा का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदन किया गया इसके आलावा कार्य परिषद सदस्यों द्वारा ऐसे शोधार्थियों जिनके पास फ़ैलोशिप नहीं है, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा फ़ैलोशिप दिये जाने पर शासन स्तर पर प्रस्ताव वित्त हेतु प्रेषित किया जायेगा। सभी शोधार्थियों को विभागीय स्तर पर छः माह की अपनी शोध प्रगति आख्या प्रस्तुत करनी होगी। विभिन्न विभागों में शोधरत् जे०आर०एफ० एवं पी०डी०एफ० को नियमानुसार कक्षार्ये पढानी अनिवार्य होगी।

4- प्री०-पी०एचडी० परीक्षा के संयोजक एवं शोध निर्देशक अपना पाँच व्यक्तियों का पैनाल विश्वविद्यालय को प्रेषित कर सकते हैं जिससे मूल्यांकन कार्य समय से हो सकेगा। शोध प्रबन्ध जमा करने के उपरांत नामित विशेषज्ञों द्वारा 15 दिनों में सहमति देनी होगी तथा मूल्यांकन का अधिकतम समय एक माह होगा। शोध ग्रन्थ मूल्यांकन की एक आख्या सकारात्मक तथा द्वितीय आख्या रिवीजन होने पर अभ्यर्थी को रिवीजन हेतु शोध निर्देशक के माध्यम से बगैर विशेषज्ञ के नाम सहित भेजी जायेगी तथा विशेषज्ञ द्वारा नकारात्मक निर्णय देने पर ही तृतीय विशेषज्ञ को भेजी जायेगी तथा तृतीय विशेषज्ञ का निर्णय अंतिम होगा। रिवीजन होने पर अभ्यर्थी को शोध ग्रन्थ के साथ रू० 5,000/- की धनराशि का शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, यही व्यवस्था डी०-एससी०, डी०-लिट्० के तीन बाह्य विशेषज्ञों की सकारात्मक आख्या पर भी लागू होगी।

निर्णय : स्वीकृत के साथ अनुमोदन किया गया, यदि शोध निर्देशक द्वारा मौखिकी परीक्षा को सम्पन्न नहीं करवाये जाने पर संयोजक द्वारा मौखिकी परीक्षा सम्पन्न की जायेगी (शोधार्थी द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त होने के उपरांत) डी०लिट्० के आवेदन की स्कीनिंग परीक्षा हेतु एक समिति का गठित की जायेगी, जिसमें तीनों संकायाध्यक्षों एवं निदेशक, एस०आर०आई०सी० सदस्य होंगे। डी०लिट्० हेतु समिति द्वारा एक अर्हता निर्धारित की जायेगी।



5- पी0एचडी0/डी0-एससी0 एक विषय में एक अभ्यर्थी द्वारा एक बार ही की जा सकेगा तथा द्वितीय बार करने के लिये अभ्यर्थी को दूसरे विषय में एम0ए0/ एम0-एससी0/ एम0-कॉम0 स्नातकोत्तर विषय से विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। डा0 सत्यदेव, संस्कृत, डी0लिट0 द्वारा एक बार डी0लिट0 उपाधि प्राप्त की जा चुकी है तथा द्वितीय बार उसी विषय पर डी0लिट0 नहीं कर सकते हैं का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

6- पी0-एच0डी0 प्रवेश परीक्षा में पर्यवेक्षक का मानदेय रू0 2,000/- तथा कक्ष निरीक्षक का रू0 500/- तथा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष का रू0 2,000/- तथा सहायक केन्द्राध्यक्ष का रू0 1,500/- करने हेतु अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित मानदेय : पी0-एच0डी0 प्रवेश परीक्षा में पर्यवेक्षक का मानदेय रू0 1,500/- तथा कक्ष निरीक्षक का रू0 500/- तथा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष का रू0 1,500/- तथा सहायक केन्द्राध्यक्ष का रू0 1,200/-

7- शोध मूल्यांकन में मौखिकी परीक्षा का मानदेय विशेषज्ञ/शोध निर्देशक का रू0 1,500/- निर्धारित मानदेय मिलेगा तथा शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु मानदेय रू0 2,000/- तथा डी0-एससी0/डी0-लिट0 हेतु मौखिकी रू0 2,000/- तथा मूल्यांकन रू0 2,500/- निर्धारित करने एवं मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करने पर विभागाध्यक्ष को भी रू0 1,500/- निर्धारित मानदेय मिलेगा का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

8- शोध अभ्यर्थी को Soft copy CD अथवा DVD में शोध ग्रन्थ एवं शोध रूपरेखा जमा करनी होगी, जिसमें मूल्यांकन में सरलता आयेगी का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित साथ ही **Provisional Degree** शोधार्थी को तभी प्रदान की जायेगी, जब उसका शोध प्रबन्ध शोध गंगा में प्रकाशित किया जायेगा। सूचना वैज्ञानिक द्वारा द्वारा शोधार्थी द्वारा जमा किये गये शोध प्रबन्ध को मुख्य मौखिकी परीक्षा के दो दिन के अन्दर शोध गंगा में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

9- जिन शोध निर्देशक के पास प्रोजेक्ट हैं, उन्हें शोध कार्य हेतु फील्ड जाने तथा अन्य शोध कार्य हेतु माननीय कुलपति जी की अनुमति से 10 दिन का अतिरिक्त कार्यावकाश देय होगा।

निर्णय : अनुमोदित 20 दिन का अतिरिक्त कार्यावकाश देय होगा, परन्तु शोध निर्देशक को कार्यावकाश के दौरान अपनी कक्षाओं के सुचारु संचालन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

10- सभी विभाग अनिवार्य रूप से वर्ष में एक बार शोध समिति की बैठक आवश्यक रूप में आयोजित करेंगे।

निर्णय : अनुमोदित।

11- कंसलटेंसी को बढ़ावा देने हेतु मानदेय पर 60/40 अनुपात में होगा जिसमें 40 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय को देनी होगी।

निर्णय : अनुमोदित।

12- पी0-एचडी0 / डी0-लिट0 तथा डी0-एससी0 की समस्त शुल्क धनराशि को शोध प्रसार के खाते में जमा करा जायेगा।

निर्णय : अनुमोदित।

13- शोध सम्बन्धी गोपनीय फाइलो का सीधे कुलपति जी को प्रेषित करेंगे।

निर्णय : अनुमोदित।

14- पी0एचडी0 शोध ग्रन्थ जमा करने का शुल्क वर्तमान रू0 12,500/- से बढ़ाकर रू0 15,000/- करने तथा डी0-एससी0 /डी0-लिट्0 हेतु रू0 20,000/- से बढ़ाकर रू0 25,000/- तथा अन्य शुल्क यथावत रखा जायेगा।

निर्णय : पी0एचडी0 शोध ग्रन्थ जमा करने का शुल्क रू0 12,500/- तथा डी0-एससी0 /डी0-लिट्0 हेतु रू0 20,000/- से बढ़ाकर रू0 50,000/- तथा अन्य शुल्क यथावत रखा जायेगा।

15- एक ही विभाग से शोध निर्देशक तथा सह शोध निर्देशक हो सकते तथा दो से अधिक सह शोध निर्देशक भी हो सकते हैं जिससे विभिन्न विषयों का समावेश होगा।

निर्णय : अनुमोदित साथ ही अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सह शोध निर्देशक बन सकते हैं इस हेतु उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16- शोध परियोजनाओं को रू0 25,000/- से उपर की कय पर कय समिति में वित्त अधिकारी अथवा नामित व्यक्ति /सहायक लेखाधिकारी, प्रधान अन्वेषक तथा विभागाध्यक्ष सहित समिति में तीन व्यक्ति होंगे। समिति हेतु माननीय कुलपति जी की पूर्व में अनुमति प्राप्त कराना अनिवार्य होगा का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

17-शोध निर्देशक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक ही बन पायेगे, जिन्हे स्नातकोत्तर में एक वर्ष पढ़ाने का अनुभव होगा तथा छात्र पी0जी0 कालेज में ही पंजीकृत होंगे। वे प्राध्यापक जिन्हे एक वर्ष पी0जी0 पढ़ाने का अनुभव होगा तथा स्नातक महाविद्यालय में कार्यरत होंगे, उन्हें स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सह शोध निर्देशक लेना अनिवार्य होगा, जिसमें शोधार्थी पंजीकृत हो सके।

निर्णय : अनुमोदित (शिक्षा संकाय एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीनों संकायाध्यक्ष एवं निदेशक, एस0आर0आई0सी0सी0 सदस्य होंगे, तथा यू0जी0सी0 के नियम भी लागू होंगे।

18- एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति जहां विभिन्न विषयों के शोधार्थी आवश्यक शुल्क जमाकर अपने सैम्पल विश्लेषण करा सकेगे। इस प्रस्ताव हेतु धनराशि रूसा तथा रू0 10 लाख की धनराशि शोध खाते से प्रदान की जायेगी।

निर्णय : अनुमोदित।

19- जैड0 एस0 आई0, कोलकत्ता (Zoological Survey of India, Kolkatta) के साथ कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एम0ओ0यू0 का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

20- शोध ग्रन्थ के साथ में प्लेजेरिज्म (नकल) का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा तथा दो शोध पत्र तथा दो समीनार प्रस्तुतीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे तथा ये शोध ग्रन्थ का भाग होंगे का अनुमोदन।

निर्णय :

शोध ग्रन्थ के साथ में 10% से कम प्लेजेरिज्म (नकल) का प्रमाण पत्र (सूचना वैज्ञानिक, कु0वि0वि0 नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित) लगाना अनिवार्य होगा तथा दो शोध पत्र यू0जी0सी0 UGC Care list/SCI/SCOPUS/Web of Science में प्रकाशित तथा दो समीनार प्रस्तुतीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे। जिन विषयों में UGC Care list/SCI/SCOPUS/Web of Science में रिसर्च जनरल उपलब्ध नहीं है, वहां Journal की संमतुल्यता हेतु एक गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जिसमें संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्ष (संयोजक) सदस्य होंगे।

21- शोध परियोजना में **Institutional charge** में से 50 प्रतिशत का हिस्सा प्रधान अन्वेषक को दिया जायेगा, जिसका उपयोग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में उपयोग होगा।
निर्णय : अनुमोदित।

22- आर0डी0सी0 हेतु रू0 2,000/- का मानदेय सयोजक/विभागाध्यक्ष को प्रदान किया जायेगा।

निर्णय : अस्वीकृत।

23- श्री टी0आर0 शर्मा शोधार्थी (इतिहास) पी0-एचडी0 से सम्बन्धित प्रकरण।

निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा।

24- डा0 एस0के0 गुप्ता डी0-एससी0 (वन विज्ञान) से सम्बन्धित प्रकरण।

निर्णय : विश्वविद्यालय शोध नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

25- आर0डी0सी0 कराने हेतु विश्वविद्यालय के 15 दिनों पूर्व में सूचित करना अनिवार्य होगा। इस वर्ष 2020 में माह 10 दिसम्बर, 2020 के बाद आर0डी0सी0 करा सकते हैं।

निर्णय : अनुमोदित (कोविड काल में आर0डी0सी0 ऑन लाइन होगी)।

26- जिन महिला अभ्यर्थियों का पंजीकरण 2012 का है तथा जिन पुरुष अभ्यर्थियों का पंजीकरण 2014 का है वे ही पंजीकरण विस्तारण हेतु आवेदन कर सकते हैं (यू0जी0सी0 के नियमानुसार)। अन्य को इसकी आवश्यकता नहीं है।

निर्णय : अनुमोदित।

27- आर0डी0सी0 में अनुपस्थित रहने वाले प्री0-पी0-एचडी0 कोर्स पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को एक वर्ष की छूट ही अनुमन्य होगी तथा एक वर्ष पश्चात उनका प्री0-पी0-एचडी0 कोर्स निरस्त माना जायेगा तथा अभ्यर्थी को रू0 1,000/- विलम्ब शुल्क अलग से देना होगा तथा इसकी अनुमति भी लेनी होगी यही प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा पास अभ्यर्थियों के लिये भी होगी।

निर्णय : अनुमोदित।

28- शोध अनुभाग एवं शोध प्रसार के कर्मचारियों को मानदेय विगत वर्षों की भॉति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।

निर्णय : अनुमोदित।

29- एस0एस0जे0 परिसर, अल्मोडा की स्थापना के पश्चात सभी पंजीकृत शोधार्थियों के प्री0 पी0एचडी0 सेमीनार तथा मौखिकी परीक्षा डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल/भीमताल में सम्पन्न होगी। केवल एस0एस0जे0 विश्वविद्यालय, अल्मोडा में शिक्षा संकाय, विधि संकाय एवं मनोविज्ञान से सम्बन्धित शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा में ही सम्पन्न होगी का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

30- प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजने हेतु शोधार्थी द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं तथा इसकी सूचना कुलसचिव को देनी होगी तथा कुलसचिव द्वारा अग्रसारित कर बाद में भेजी जायेगी, यह व्यवस्था तत्काल भेजे जाने वाले प्रोजेक्ट में लागू होगी।

निर्णय : अनुमोदित।

31- शोध निदेशालय द्वारा वर्ष 2021 में प्रत्येक संकाय में एक विशिष्ट विशेषज्ञ का व्याख्यान आयोजित किया जायेगा, जिसमें व्याख्यान मानदेय रू0 4,000/- होगा तथा विशेषज्ञ का T.A. एवं रू0 2,000/- कंटीनजैन्सी में अनुमन्य होगा व्याख्यान कुलपति जी द्वारा अनुमन्य किया जायेगा।

निर्णय : अनुमोदित।

32- प्री0 पी0-एचडी0 सेमीनार में शोध निर्देशक को share taxi / own car से यात्रा भत्ता दिया जायेगा

निर्णय : share taxi / own car अनुमोदित।

33- शोध गुणवत्ता बढ़ाने के लिये इस वर्ष शोध में प्रवेश लेने वाले शोधार्थियों को शोध प्रबन्ध जमा करने पर दो शोध पेपर यू0जी0सी0 निर्धारित जर्नरल में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा तथा इसका मूल्यांकन प्री0 पीएच0डी0 सेमिनार में संयोजक द्वारा किया जायेगा।

निर्णय : दो शोध पत्र UGC Care list / SCI / SCOPUS / Web of Science का अनुमोदित।

34- यू0जी0सी0 नियमानुसार शोध ग्रन्थ जमा करने हेतु निम्नतम सीमा तीन वर्ष निर्धारित है। तथा शोधार्थी के पश्चात प्री0 पी0-एचडी0 कोर्स वर्क की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पंजीकरण तिथि से 24 माह अथवा दो वर्ष बाद जमा कर सकते हैं तथा इसमें कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।

निर्णय : अनुमोदित, यू0जी0सी0 नियमानुसार कार्यवाही होगी।

35- यू0जी0सी0 नियमानुसार पी0-एचडी0 की मौखिकी परीक्षा कोविड-19 के कारण ऑन लाइन सम्पादित की जा रही है तथा ये अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी।

निर्णय : अनुमोदित।

36- वर्ष 2020 पी0-एचडी0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अर्थार्थी को आरक्षण सम्बन्धी प्रत्यावेदन जो प्राप्त हुए हैं उन्हें जॉचोपरांत सही होने पर क्रियान्वित किया जायेगा। श्री मनीष जोशी एवं गीता की पी0-एचडी0 प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा EWS कटेगिरी प्रदान करने पर विचार।

निर्णय : अनुमोदित।

37- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु कला संकाय के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा। वर्तमान से यह विज्ञान में शामिल है।

निर्णय : एक समिति का गठित की जायेगी, जिसमें संकायाध्यक्ष सदस्य होंगे।

38- 29-2-2020 को हुई कार्य परिषद की बैठक में 67 पी0-एचडी0 के अनुमोदित हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका 27-11-2020 की प्रस्तावित कार्य परिषद हेतु 79 पी0-एचडी0 एवं 01 डी0-एससी0 की पुष्टि हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

निर्णय : अनुमोदित।

अन्य मद :

निदेशक, डी0आई0सी0 द्वारा विश्वविद्यालय पी0-एचडी0 प्रवेश परीक्षा 2020 में प्रवेश परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों तथा सम्बन्धित संयोजकों के द्वारा किये गये संशोध/सुझाव के अन्तर्गत शोध उपाधि समिति द्वारा अन्य मद में निम्न निर्णय लिये गये।

संयोजक द्वारा निर्धारित प्रत्येक Ambiguous एवं Cancel प्रश्नों में समस्त अभ्यर्थियों को एक समान 01 अंक प्रदान किया जायेगा।

जिन प्रश्नों में त्रुटियां पायी गयी, अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों के आधार पर संयोजकों द्वारा प्रश्नों का पुनर्निरीक्षण कर पूर्व में अपलोडेड कुंजी को परिवर्तित करते हुए सही उत्तर कुंजी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।, जिसके आधार पर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

बैठक के अंत में निदेशक, एस0आर0आई0सी0सी0 द्वारा सभी का धन्यवाद किया गया।

निदेशक

25/11/20

एस0आर0आई0सी0सी0
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल